महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय ,उज्जैन

देवास रोड,
उज्जैन (म.प्र.) – 456010
दूरभाष–(0734) 2922037 (कार्या.)

E-mail-regpsvvmp@rediffmail.com
Website– www.mpsvvujjain.org

उज्जैन, दिनांक : 22/06/2020

दिनांक 18 जून 2020 को आयोजित विद्या परिषद ऑनलाईन बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 18 जून 2020 को अपराह्न 03:00 बजे महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक, विश्वविद्यालय, उज्जैन की विद्या परिषद बैठक ऑनलाईन आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे –

–: उपस्थिति :–

1. **डॉ. पंकज एल. जानी**
   कुलपति, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक, विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – अध्यक्ष
2. **प्रो. बालकृष्ण शर्मा,**
   कुलपति, विक्रम विश्वविद्यालय, कोठी रोड़, उज्जैन – सदस्य
3. **प्रो. मनमोहन उपाध्याय,**
   संकायाध्यक्ष, वेद वेदांग एवं साहित्य संकाय
   महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक, विश्वविद्यालय, उज्जैन – सदस्य
4. **प्रो. रामशरण पाण्डेय,**
   संकायाध्यक्ष, शा. संस्कृत महाविद्यालयय, भीतरी जिला सीधी म.प्र. – सदस्य
5. **डॉ. तुलसीदास परौहा,**
   एसोसिएट प्रोफेसर, महर्षि पाणिनि सं. एवं वै., विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – सदस्य
6. **डॉ. पूजा उपाध्याय**
   असिस्टेंट प्रोफेसर, महर्षि पाणिनि सं.एवं वै. विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र – सदस्य
7. **डॉ. एल.एस.सोलंकी,**
   कुलसचिव, महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालय, उज्जैन म.प्र. – सचिव

––00––

उक्त की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व कुलपतिजी द्वारा विद्या–परिषद् के उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया। इसके पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

षय क्रमांक – 01 **विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18 जून, 2020 के कार्य विवरण की समुष्टि पर विचार।**

र्णय : विचारोपरांत विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 18 जून,2020 की बैठक की संपुष्टि की गयी।

षय क्रमांक – 02 **विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 23 नवम्बर 2019 का पालन प्रतिवेदन ।**

र्णय: विद्या परिषद् की बैठक दिनांक 23 नवम्बर, 2019 के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

ाय क्रमांक 3 **विश्वविद्यालय के छात्रों की अंकसूची सत्यापित करने हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में विचारार्थ ।**

ा :– विश्वविद्यालय से उपाधि प्राप्त छात्र–छात्राएं जब कहीं सेवारत होते हैं तो संबंधित संस्थाओं से अंकसूची एवं उपाधि पत्र सत्यापन हेतु पत्र प्रेषित किये जाते हैं। इस प्रक्रिया के लिये शुल्क निर्धारण हेतु प्रस्तावित।

ाय :– **निर्णय लिया गया कि रूपये 200/– प्रति छात्र अभिलेख सत्यापन शुल्क लिया जाय।**

विषय क्रमांक 4 **विश्वविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ (IQAC) की बैठक 04.02.2020 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ।**

टीप :– विश्वविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ (IQAC) की बैठक 04.02.2020 में की गई अनुशंसाओं को अंगीकृत करने पर विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ।

निर्णय :– **विश्वविद्यालय की आंतरिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रकोष्ठ (IQAC) की बैठक 04.02.2020 की अनुशंसओं का अनुमोदन किया गया।**

विषय क्रमांक 5 **विश्वविद्यालय की आचार्य एवं एम.ए. स्वाध्यायी परीक्षा को वार्षिक पद्धति से सेमेस्टर पद्धति में करने पर विचार।**

टीप :– विश्वविद्यालय में आचार्य तथा एम.ए. के लिये 2 प्रकार की परीक्षा पद्धतियां प्रचलित है। नियमिति छात्रों के लिये सेमेस्टर पद्धति तथा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये वार्षिक पद्धति एक ही उपाधि के लिये 2 प्रकार की परीक्षा पद्धतियां तथा 2 प्रकार के पाठ्यक्रम को निरन्तर लागू किये रखने पर विचारा किया जाना प्रस्तावित है। स्वाध्यायी छात्रों के लिये भी सेमेस्टर पद्धति के छात्रों के लिये लागू पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति लागू किये जाने से स्वाध्यायी छात्रों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **विचारोपरांत निर्णया लिया गया कि प्रस्ताव को मान्य किया जाये एवं यह भी निर्देशित दिये गये कि इस कार्यवाही में छात्र संख्या में कमी ना हों।**

विषय क्रमांक 6 **सत्र 2020–21 के लिये अतिथि प्राध्यापक आमंत्रित करने पर विचार।**

टीप :– अध्यापन विभागों में नियमित प्राध्यापकों की कमी है तथा विभागों में लगभग 23 पद अभी तक रिक्त हैं। अतः अध्ययन–अध्यापन सुचारू बनाये रखने के लिये विषयवार आवश्यकतानुसार अतिथि प्राध्यापक आंमत्रित किये जाते रहे हैं। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **निर्णय लिया गया कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के दिशा निर्देशों एवं विगत वर्षों में विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई गई अतिथि विद्वान भर्ती प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाये।**

विषय क्रमांक 7 **डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का अध्यापन पूर्णतः ऑनलाईन करने विषयक।**

विश्वविद्यालय में संचालित सभी डिप्लोमा पाठ्यकमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सत्र 2020–21 से ऑनलाईन कक्षायें संचालित किये जाना उचित प्रतीत होती है। इससे सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के विद्यार्थी सुदूरस्थ अपने घर में रहकर भी पाठ्यकम का अध्ययन कर सकेंगे। इस प्रकिया से अधिक छात्र लाभान्वित हो सकेंगें। इन विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उनकी सुविधा के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की सुविधा दी जाएगी। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **प्रस्ताव को मान्य किया गया।**

विषय क्रमांक 8 **प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन करने विषयक।**

टीप :– कोविड–19 के संकमण से छात्र–छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सत्र 2020–21 में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश ऑनलाईन किया जाना प्रस्तावित है । इस प्रकिया के लिये आवश्यक संसाधनों की अपेक्षा होगी। ऑनलाईन प्रकिया से संबंधित कार्यवाही को करने की लिये 01 कम्प्युटर विशेषज्ञ की आवश्कयता होगी जो विश्वविद्यालय की वेबसाईट का संचालन तथा आवश्यकतानुसार कम्प्युटर की कक्षायें भी ले सकेगा। अतः अतिथि प्राध्यापकों के लिये निर्धारित मानदेय पर किसी योग्य कम्प्युटर प्रोग्रामर को रखे जाने का प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन दोनों प्रकार से संपन्न करायी जाये ताकि अधिक से अधिक छात्र प्रवेश ले सकें।**

विषय क्रमांक 9 **डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम एवं अकादमिक कार्य के लिये संस्थाओं से अनुबंध करने विषयक।**

टीप :– विश्वविद्यालय द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम के संचालन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 24.012020 को जारी विज्ञप्ति के अनुक्रम में अनेक शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। सभी संबंधित संस्थाओं के साथ डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन हेतु अनुबंध किया जाना है। महामहिम राज्यपालजी की प्रेरणा हुई है कि विश्वविद्यालय अन्य शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ~~विशिष्ट पाठ्यक्रम संचालन~~ के लिये अनुबंध करें जिससे छात्र अपनी रूचि के अनुसार उन विशिष्ट पाठ्यक्रमों का अध्ययन अपनी संस्था में कर सके। इससे नेक की ग्रेडिंग में भी लाभ प्राप्त होगा। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **विचारोपरान्त प्रस्ताव मान्य किया गया ।**

विषय क्रमांक 10 **छात्रों के लिये 50 प्रतिशत कक्षायें ऑनलाईन आयोजित करने विषयक।**

टीप :– वर्तमान समय में कोविड–19 का वैश्विक प्रकोप सतत प्रवर्धमान है। अतः सत्र 2020–21 में विद्यार्थियों को कोविड–19 के संकमण से बचाव हेतु तथा विश्वविद्यालय परिसर में अधिक छात्रों की एक साथ उपस्थिति को रोकने हेतु यह आवश्यक है कि कक्षायें 50 प्रतिशत ऑनलाईन आयोजित की जायें तथा 50 प्रतिशत कक्षाओं में बुलाकर अध्ययन–अध्यापन किया जाए। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही ~~की जायेगी~~।**

विषय क्रमांक 11 **श्री राजेन्द्र जैन सूरी शिक्षा महाविद्यालय**

टीप :– श्री राज राजेन्द्र जयंत सेन सूरी शिक्षा महाविद्यालय, उज्जैन के द्वारा बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस पाठ्यक्रम के 03 वर्षीय पाठ्यक्रम एवं पीजी डिप्लोमा इन योगा का कोर्स प्रारंभ करनले के लिए विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की मॉग की गयी है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :– **मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग एवं राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) से अनुमति प्राप्त करने एवं विश्वविद्यालय के परिनियमों का पालन करने के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।**

विषय क्रमांक 12 **अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।**

अन्त में समस्त सदस्यों एवं अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित कर परिषद की कार्यवाही समाप्त हुई।

(डॉ. पंकज एल.जानी)
कुलपति
अध्यक्ष

(डॉ.एल.एस.सोलंकी)
कुलसचिव
सचिव